

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -536/2023

अनवान : -

1. कृष्ण पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील

- वादी

बनाम्

1. विद्या देवी पुत्री चन्दुराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
2. ओम प्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
3. मामकौरी पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
4. विमला पुत्री हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
5. सन्तोष पुत्री हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
6. कमला पुत्री हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
7. राजबाला पुत्री हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

- प्रतिवादीगण

9. रामप्रसाद पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
10. बीरसिंह पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
11. मेवासिंह पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
12. रामसिंह पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।

- तरतीवी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 22.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 149/148 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 1 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 व मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 147/147 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में से तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 व मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 34/33 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा पीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 12 का

28

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

कुल क्षेत्रफल 3.0360 है० भूमि में से तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 व मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि वर्तमान में हवासिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है का देहान्त हो चुका है। हवासिंह के जायज वारिसान सजरा खानदार के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 9 ता 12 है, जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व भाई के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो हक हिस्सा है अपने चाचा के वारिसो के पक्ष में परित्याग कर चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 उपरोक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 149/148 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम के नाम दर्ज भूमि में पूर्व में दर्ज सहित 3/4 हिस्सा पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 ब० हि० ब० काबिज है व 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है एवं 2 जीजीएम के खाता संख्या 147/147 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है० भूमि में मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम के नाम दर्ज भूमि में वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ब० हि० ब० काबिज है एवं 2 जीजीएम के खाता संख्या 34/33 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ब० हि० ब० काबिज है एवं 3/4 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 ब० हि० ब० काबिज है एवं रोही मौजा 9 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 3.0360 है० भूमि में मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम के नाम दर्ज भूमि में वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ब० हि० ब० काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 7 व 9 ता 12 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 2 जीजीएम सम्वत 2070-73 खाता संख्या 149, 47, 34 प्रदर्श 1 ता 3, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक हवासिंह प्रदर्श-4, वारिस प्रमाण पत्र तस्दीक प्रदर्श-5, शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श-6 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 9 ता 12 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 7 व 9 ता 12 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 149/148 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 1 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 व मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 147/147 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में से तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 व मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 34/33 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 9 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 3.0360 है0 भूमि में से तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 व मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है, उक्त वाद भूमि वर्तमान में हवाहि के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है हवासिंह का देहान्त हो चुका है। मृतक हवासिंह के जायज वारिसान वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है। प्रतिवादी स0 1 ता 12 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 12 द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनतोष स्वीकार योग्य है।

उपरबण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 149/148 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 व मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम का नाम कलमजन किया जाकर पूर्व में दर्ज सहित 3/4 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है व 1/4 हिस्सा भूमि का वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं 2 जीजीएम के खाता संख्या 147/147 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है एवं 2 जीजीएम के खाता संख्या 34/33 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है एवं 3/4 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 9 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 3.0360 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुरामका नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/11/23.....को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023
कैम्प कोर्ट-मलवानी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -536/2023

अनवान : -

1. कृष्ण पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील

- वादी

बनाम्

1. विद्या देवी पुत्री चन्दुराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
2. ओम प्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
3. मामकौरी पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
4. विमला पुत्री हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
5. सन्तोष पुत्री हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
6. कमला पुत्री हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
7. राजबाला पुत्री हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

- प्रतिवादीगण

9. रामप्रसाद पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
10. बीरसिंह पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
11. मेवासिंह पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
12. रामसिंह पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।


- तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 536 सन 2023 निर्णय दिनांक 21.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 149/148 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 व मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम का नाम कलमजन किया जाकर पूर्व में दर्ज सहित 3/4 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व 1/4 हिस्सा भूमि का वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है एवं 2 जीजीएम के खाता संख्या 147/147 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9

को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं 2 जीजीएम के खाता संख्या 34/33 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं 3/4 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 9 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 3.0360 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मृतक हवासिंह पुत्र चन्दुरामका नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/11/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


(सत्येन्द्रनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023
कैम्प कोर्ट-मलवानी